



न्यायालय अपर समाहर्ता (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

ई-मेल:—ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 64 / रा0 न्या0 दिनांक: 19 / 10 / 2020

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गिरिडीह।

विषय : भू-हदबंदी वाद सं0 04/2012-2013 (लालचु रजक बनाम् ठाकुर रजक एवं अन्य) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भू-हदबंदी वाद सं0 04/2012-2013 (लालचु रजक बनाम् ठाकुर रजक एवं अन्य) में पारित आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0: भू-हदबंदी वाद सं0 04/2012-2013
में पारित आदेश की प्रति

विश्वासभाजन,

Wbun
19/10
अपर समाहर्ता
गिरिडीह।

कमलेश्वर शुभलादिन / कमीलाना के कमलेश्वर द्वारा
कमलेश्वर सजरी दिखा गया है। ३ तलाठी कमीलाना
२९/८/२०१८

25/8

किसी एक अवस्था में आयु को 3 गुणा कर 518
 प्राप्त हो जाती है। A 2 निदान मिला

ਅਮਰਿਕਾ ਦੀ ਸਿਤਾਵਤੀ

[illegible]

नाम का समय नहीं
 मीमांसा के सिद्ध मन्त्रादि
 प्राप्त हुए हैं कि किन नामों के उपरान्त
 कि विहित नहीं, यह नहीं है, यह
 पर मन्त्रादि नहीं है

जब आचार्यजी ने यह बात
विज्ञान आचार्यजी के अंतर्गत प्रशासन
अधि ला. के रूप में स्वीकार में ले ली
विज्ञान आचार्यजी के अंतर्गत प्रशासन के काम
(दिनांक 12/11/2011) मिलने के बाद में भी यह
रूप में उपस्थित हो गई कि वह इस अधिनियम
में आचार्य करें।

ज्ञान आदि के
 अतः २६ परिच्छेद में अंश २४/२५
 में निम्न भाषा में उक्त जति आदेश यह निरूप
 किता गाथा है एवं उक्त भाषा की पुनः पुनः
 के निम्न भाषा में के अन्तर्गत किता गाथा है
 उक्त जति की पुनः पुनः के अन्तर्गत यह
 किता गाथा कि पुनः पुनः
 किता गाथा कि पुनः पुनः

28/8
2007